

# वोटिंग मशीनमें पाई गई थी तकनीकी गड़बड़ी

**सुलतानपुर मामले में जिलाधीश की सफाई**

प्रतिनिधि, 26 जुलाई  
बुलढाणा- बुलढाणा में फरवरी 2017 में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान लोणार तहसील के ग्राम सुलतानपुर स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 57/6 पर वोटिंग मशीन में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी. सुलतानपुर में एक ही वोटिंग मशीन में गड़बड़ी थी,



परिणाम घोषित किया गया था. जिले में 60 जिला परिषद और 120 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में

चुनाव हुआ था. इस चुनाव के लिए 1691 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी. 3 हजार 382 वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था. हर मतदान केंद्र पर जिला परिषद और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र वोटिंग मशीनें लगाई गई थीं. विज्ञापित कहा गया है कि इन मशीनों में से सुलतानपुर के 57/6 नंबर के मतदान केंद्र पर लगी वोटिंग

मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी. लेकिन मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी. इसी मतदान केंद्र पर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगी वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी. जिले के शेष 1690 मतदान केंद्रों से इस तरह की कोई शिकायत जिला प्रशासन को नहीं मिली. सुलतानपुर के मामले को लेकर कोई याचिका भी दायर नहीं हुई है.

# लीची का अधिक सेवन बच्चों के लिए हानिकारक

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- मीठी रसीली लीची का स्वाद सभी को भाता है, पर खाली पेट इसका ज्यादा सेवन करने से खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, इससे शरीर में घातक रसायन तैयार होते हैं जिससे मिर्गी का अटैक आता है. इससे मरीज के बेहोश होने या मौत की आशंका ज्यादा हो जाती है. बिहार के मुजफ्फरपुर में 2014 में 122 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. देश में मुजफ्फरपुर की लीची काफी प्रसिद्ध है. 6 साल पहले मुजफ्फरपुर में प्रवीण को रोट के समय मिर्गी का अटैक आया. वह बेहोश हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी मौत हो गई. ऐसी स्थिति मुजफ्फरपुर में रहने वाले कई बच्चों की हुई. 1995 में बिहार में इस बीमारी से कई बच्चों की मौत हुई. इस बीमारी में तड़के मिर्गी का अटैक आता था. वह बेहोश होकर गिर पड़ता था. बाद में उसकी मौत हो जाती थी. इस बीमारी को मस्तिष्क ज्वर से जोड़ कर देखा जाने लगा. लेकिन 2014 में नेशनल

**बना सकता है मिर्गी का मरीज छोटे बच्चों को लीची न दें**

डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि छोटे बच्चों को लीची न दें. खासकर रात के समय तो बिलकुल भी नहीं. जनजागृति करने पर ऐसी मौत की घटनाओं में सालाना 400 से घटाकर 50 पर लाने में सफलता मिली है.



मात्रा में करने से यह बीमारी होती है. एनसीडीसी के संयुक्त निदेशक व अनुसंधान प्रमुख डॉ. आकाश श्रीवास्तव ने मुंबई में पिछले दिनों हुई 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रांफ्लिकल न्यूरोलॉजी कांफ्रेंस' में यह जानकारी प्रस्तुत की.

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि लीची में हायपोग्लोसिन ए और एमपीसीजी रसायन रहता है, जो रक्त में शुगर का प्रमाण कम करता है जबकि अन्य विषैले पदार्थ की मात्रा शरीर में बढ़ती है. ग्लूकोज तैयार होने की प्रक्रिया बाधित होती है.

लीची के बगीचे में बच्चे दिनभर खूब लीची खाते थे, रात में खाना नहीं खाते थे जिससे जहरिले रसायन खून में बनते थे.

# विवाद मुक्त गांव अभियान से 9 जिलों ने फेरा मुंह

पहले नंबर पर रहने वाले बुलढाणा का भी समावेश

संवाददाता, 26 जुलाई  
**खामगांव-** महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव अभियान कार्यक्रम में वर्ष 2015-16 में बुलढाणा समेत राज्य के 9 जिले शामिल नहीं हुए. विवाद मुक्ति में राज्य में पहले क्रमांक पर रहने वाले बुलढाणा जिले ने भी इस जन उपयोगी अभियान से मुंह फेर लेने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. गांव के विवाद गांव में ही हल करने के लिए राज्य सरकार ने 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव योजना शुरू की, लेकिन अब इस योजना की ओर अनदेखी की जा रही है, गत वर्ष राज्य के 9 जिले इसमें शामिल नहीं हुए. इसमें बुलढाणा जिले के साथ जालना, बीड, नांदेड़, गडचिरोली, सांगली, नांदुरबार, रायगड आदि जिलों का समावेश है.



जून 2016 तक मूल्यांकन किया था. इसमें 154 गांव पुरस्कार के लिए पात्र ठहरे. 20 जून से 20 जुलाई तक इन गांवों का जिला बाह्य मूल्यांकन किया गया, लेकिन इसमें बुलढाणा जिले के एक भी गांव से पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं बुलवायी. साथ ही सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी.

राज्य में 2015-16 में इस अभियान को कम प्रतिसाद मिला. परिणाम स्वरूप विवाद मुक्त गांवों की संख्या 154 रही. बुलढाणा जिले में आरंभ के कुछ साल यह मुहिम गति से चलाई गई. गांवों में विवाद मुक्ति का वातावरण निर्माण होकर पुरस्कार प्राप्त करने की स्पर्धा होती थी. ग्रामस्थ और पुलिस

अधिकारी इसमें उत्साह से शामिल होते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यह उत्साह कम होता गया. कई गांवों में कागजात पर यह काम चलता रहा, लेकिन हाल ही में यह योजना सभी स्तर से पीछे रह गई है.

'इस अभियान को अब स्पर्धा के दृष्टि से नहीं तो जरूरत को समझकर अमल करना जरूरी हो गया है. महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव अभियान की ओर सरकारी स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. बुलढाणा जिले के सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, पुलिस विभाग और नागरिकों के सहयोग से इस योजना के माध्यम से गांवों में शांति कायम रहने में बड़ी मदद हो सकती है.

# जीएसटी अनुदान के लिए चुंगी को बनाएं आधार

मुख्यमंत्री के समक्ष केंद्रीय मंत्री ने खा प्रस्ताव

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- जीएसटी से नागपुर मनापा को मिली मायूसी के बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मंगलवार को मुंबई में मनापा के अधिकारी व पदाधिकारियों ने फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बैठक में जीएसटी अनुदान के लिए एलबीटी की जगह चुंगी को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा. इस पर मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग और वित्त विभाग को चुंगी के आधार पर जीएसटी अनुदान का आंकलन करने के निर्देश दिए. उसके आधार पर जीएसटी अनुदान की राशि तय करने के निर्देश दिए. जीएसटी अनुदान को बढ़ाने और नाग नदी पुनर्जीवन प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के विधान भवन में बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, महापौर नंदा जिचकार, पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, नगर विकास के प्रधान सचिव नितिन करीर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुजाता सोमिक, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव आंसू ए.स. चहल, पूर्व महापौर प्रवीण दत्ते, स्थायी समिति सभापति संदीप

जाधव, मनापा आयुक्त अश्विन मुदकर, डॉ. म्हेसेकर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डॉ. रामनाथ सोनवणे, सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम आदि उपस्थित थे. नागपुर मनापा की तरफ से चुंगी को आधार बनाकर जीएसटी अनुदान का साल का 1065 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था. लेकिन एलबीटी को आधार बनाकर जीएसटी का आंकलन किया गया, जिससे नागपुर मनापा को जीएसटी एडवांस के तौर पर जुलाई महीने में 42.44 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर मिला. यह एलबीटी से भी कम अनुदान है. मनापा की स्थिति को देखते हुए गडकरी ने मुख्यमंत्री से चर्चा का निर्णय लिया.

डेढ़ घंटे तक चली बैठक में गडकरी ने कहा कि एलबीटी लागू होने से कई महानगरपालिकाओं को नुकसान हुआ है. इसी वजह से एलबीटी के पहले की व्यवस्था को जीएसटी के आंकलन के लिए आधार बनाया जाना चाहिए. सूत्रों के अनुसार केवल नागपुर मनापा के लिए बदलाव होना मुश्किल है. ऐसे में जिन महानगरपालिकाओं को एलबीटी लागू होने से नुकसान हुआ, उन्हें आज की बैठक में दिए गए आदेश से कुछ फायदा हो सकता है.

# अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी 'ग्रोथ इंजन'

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बताया सकारात्मक आर्थिक सुधार

नागपुर- केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) अर्थव्यवस्था के लिये 'ग्रोथ इंजन' सिद्ध होगा. इससे जिस राज्य में उत्पादन होगा उस राज्य के राजस्व में 25 प्रतिशत तक बढ़ती होगी. अधिकारियों द्वारा दी

जीएसटी के प्रमुख आयुक्त ए.के.पांडे, राज्य जीएसटी मुख्य आयुक्त पी.के.अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे. गडकरी ने आगे कहा कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान अत्यधिक है. अब तक दुनिया के 165 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है. देश में आर्थिक सुधार करने के लिये यह कर जरूरी है. भारत में वस्तु-माल का परिवहन खर्च (लॉजिस्टिक कॉस्ट) 18 प्रतिशत होगा. यह खर्च चीन में 8 से 10 प्रतिशत, यूरोप में 10 से 12 प्रतिशत है. इसके कारण निर्यात क्षेत्र में अन्य की तुलना में हम पिछड़ जाते हैं. जीएसटी के कारण 17 कर और 22 सेस (अधिभार) खत्म हो गए हैं. कर में सुलभता आई है. जीएसटी के कारण लायसेंस व इस्पेक्टर राज को दूर कर 'इंज ऑफ डूइंग बिजनेस' को गति मिली है. जीएसटी का सर्वाधिक फायदा नागपुर को मिलेगा. नागपुर के रिंग रोड पर लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा जिससे नागपुर एक लॉजिस्टिक केन्द्र के रूप में उभरेगा.

# जयपुर के बाद अब नागपुर सिटी को बदलेगी मेट्रो

प्रतिनिधि, 26 जुलाई  
नागपुर- राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में मेट्रो रेल (म्हारी मेट्रो) भले ही एक कॉरिडोर में चल रही है, लेकिन इसने वहां के लोगों की जिंदगी को बदलकर रख दिया है. अब बारी नागपुर की है. यहां दोनों कॉरिडोर में मेट्रो रेल (माझी मेट्रो) प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य साथ-साथ पूरा हो रहा है. इससे शहरवासियों के जीवन में मेट्रो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन लाएगी. यह भरोसा उस वक्त और भी मजबूत हो गया जब नागपुर की मीडिया म्हारी मेट्रो के अध्ययन दौरे के लिए जयपुर गई. इस दौरे के दौरान जयपुर और नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के बीच कई समानताएं और अंतर नजर

आए. नागपुर में दोनों कॉरिडोर का काम एक साथ : नागपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दोनों यानी नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में एक साथ चल रहा है. इससे राइडरशिप के मामले में जयपुर सहित अन्य मेट्रो की तुलना में नागपुर की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है. जयपुर मेट्रो में फेज-1 ए के तहत 9.6 किमी में मेट्रो चल रही है. फेज-1 बी में 2.3 किमी के मार्ग और दो मेट्रो स्टेशनों का काम चल रहा है. फेज-2 में 2.4 किमी (10 किमी अंडरग्राउंड) के मेट्रो कॉरिडोर का डीपीआर बन गया है. यह काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत साकार करने का निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है.



**सोलर एनर्जी जनरेशन पर जोर**

जयपुर के मानसरोवर मेट्रो डिपो में 100 किलावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. यहां के मेट्रो स्टेशनों की छतों पर भी सोलर पैनल लगाने का निर्णय जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लिया है. जबकि, नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के मिहान, हिंगना डिपो में सोलर एनर्जी जनरटी की जा रही है. मेट्रो स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे.

**फ्रांस की कंपनी करेगी डीपीआर में संशोधन**

जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 24 किमी के सैकंड फेज के डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट) में संशोधन का काम फ्रांस की कंपनी को दिए जाने की जानकारी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अश्विनी सक्सेना ने दी. वे अध्ययन दौरे पर जयपुर आए नागपुर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के बी कैटेगरी के शहरों में जयपुर ऐसा शहर है, जहां सबसे पहले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम पूरा होकर ट्रेन चलने लगी है. इसके सैकंड फेज के लिए विदेशी कंसल्टेंट से चर्चा कर डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है. फ्रांस की एक कंपनी को यह काम दिया गया है. सैकंड फेज का काम शुरू होने पर यह काम 5 साल में पूरा हो जाएगा. दोनों चरण पूरे होने पर जयपुर मेट्रो 36 किमी की हो जाएगी. इस अवसर पर जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (कॉर्पोरेट अफेयर्स) राजेश अग्रवाल, डायरेक्टर (फाइनेंस) डॉ. वृजभूषण शर्मा, एकजीवूटिव डायरेक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, मैनेजर (ऑपरेशन्स) शरदकुमार श्रीवास्तव, मैनेजर (रेलिंग स्टॉक) आर.एस. रेगर, जनसंपर्क अधिकारी शरद कुमार उपस्थित थे.

# झूठे अपराध दर्ज करने वाले अधिकारी पर करें कार्रवाई

पुसद के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के निर्देश

एड. अनिल ठाकुर की जानकारी

प्रतिनिधि, 26 जुलाई  
यवतमाल- वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में झूठे अपराध दर्ज कर हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश पुसद के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दिए. अपराध दर्ज करने वाले तत्कालीन उपनिरीक्षक ने वैसा प्रतिज्ञा पत्र देने के बाद अदालत ने यह आदेश देने की जानकारी एड. अनिल ठाकुर ने पत्र-परिषद में दी.

पुसद के एड. अनिल ठाकुर के खिलाफ 13 मार्च 2009 को तत्कालीन पुसद शहर के थानेदार ज्ञानेश्वर घुगे ने निजी कारणों से समाज में विवाद निर्माण करने का अपराध दर्ज किया. साथ ही आचार संहिता लागू रहते हुए विना अनुमति पत्रक निकालना आदि गंभीर अपराध दर्ज किए. साथ ही शांति समिति सदस्य के नाते एक विवाद हल करने के लिए गए ठाकुर के



साथ थानेदार ज्ञानेश्वर कडू ने मारपीट की.

उसके बाद अनिल ठाकुर के विरोध में 16 मार्च 2009 को सरकारी काम में रुकावट पैदा करने, कानून व्यवस्था खतरे में आने का प्रयास करने के अपराध दर्ज किए. इस पुलिस कार्रवाई के विरोध में एड. अनिल ठाकुर ने पुसद कार्रवाई के विरोध में एड. अनिल ठाकुर ने पुसद प्रथम श्रेणी न्यायालय में याचिका दायर की. इस मामले में अपराध दर्ज करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम दशरथ इटनारे ने अदालत में प्रतिज्ञा पत्र पेश कर एड. अनिल

ठाकुर के विरोध में थानेदार ज्ञानेश्वर घुगे के निर्देश से झूठा अपराध दर्ज करने की बात स्वीकार की.

बाद में अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनकर यह मामला गंभीर बताया. पुलिस अधिकारी ने निजी बदला लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. साथ ही इसके लिए अदालत का भी इस्तेमाल किया. पुलिस अधिकारी से हुई यह गलती किसी भी हाल में माफ करने जैसी नहीं है. इसमें एसपी को संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अनंता बाजड़ ने दिया.

**आज का इतिहास** 27 जुलाई

- 1655 स्वीडन नरेश चार्ल्स दसवें ने पोलैंड पर हमला किया.
- 1795 स्पेन ने फ्रांस से शांति संधि की.
- 1839 चीन और ब्रिटेन के बीच अफमी युद्ध शुरू हुआ.
- 1889 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी नाम से खुली.
- 1894 कोरिया ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान किया.
- 1933 इयक में सीरियाई ईसाईयों का संहरा हुआ.
- 1965 उत्तर वियतनाम के प्रक्षेपास्त्र ठिकानों पर अमरीका ने हमला किया.
- 1972 नक्सली आंदोलन के जनक चारु मजूमदार का निधन जेल में हुआ.
- 1978 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की स्वतंत्रता के बारे में पश्चिमी देशों की योजना स्वीकार की.
- 2002 उप राष्ट्रपति कृष्णाकांत का नई दिल्ली में निधन हुआ.
- 2002 निशानेबाज अभिनव बिन्ना तथा समीर आंबेकर ने 17 वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता.
- 2007 ब्रिटेन के रक्षासचिवों में आतंककारी हमले की साजिश के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किए गए भारतीय डाक्टर हनीफ को जेल से रिहा किया.

**नगर परिषद कार्यालय मोर्शी, जिल्हा अमरावती ई-निवीदा सूचना (तीसरी वेळ)**  
क्रमांक/नामामो/जाक्र/बांध/निवीदासूचना/कावि-1609/17 दिनांक 25.07.2017

सर्वसाधारण माहिती करीता प्रसिध्द करण्यात येते की, नगर परिषद मोर्शी ला नगर परिषद निधी मधुन खालील प्रमाणे बांधकाम करावयाचे आहे. तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे योग्य त्या वर्गातील पंजीबद्ध कंत्राटदारांकडून टक्केवारी दरात सिलबंद निवीदा खालील कामाकरीता मागविण्यात येत आहे. ई-निवीदा प्रसिध्दीचा तपशिल - Tender ID -2017 DMA 232809-1

ई-निवीदा प्रसिध्दी	
ई-निवीदा दाखल करण्याची सुरुवात दिनांक	26.07.2017 सकाळी 11.00 वाजेपासुन
ई-निवीदा दाखल करण्याची अंतिम दिनांक	07.08.2017 सायंकाळी 5.45 वाजेपर्यंत
ई-निवीदा उघडण्याचा दिनांक (Technical)	09.07.2017 सकाळी 11.00 वाजता शक्य झाल्यास
(Financial) ई-निवीदा उघडण्याची दिनांक व वेळ Mail व SMS द्वारे कळविण्यात येईल.	

सदर निवीदा ह्या [www.mahatenders.gov.in](http://www.mahatenders.gov.in) या वेवसाईटवर पहावयास मिळेल निवीदा या ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करावयाच्या आहेत. सदर निवीदेतील अनामत रक्कमेच्या व निवीदा प्रपत्राचा भरणा ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येईल. सर्व अटी व शर्ती निवीदा सुचने प्रमाणे पहावयास मिळेल.

सौ.शिला अ. रोडे अध्यक्ष जितेंद्र प्र. गेडाम उपाध्यक्ष मनोहर न. शेंडे बांधकाम सभापती पी.डी. राठोड मुख्याधिकारी

नगर परिषद कार्यालय मोर्शी, जिल्हा अमरावती